संख्या-9/ 2331/ बीस-13-वि0-14-4(विविध)/ 13

प्रेषक,

श्री प्रभात मित्तल,
सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध) लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 2014

विषय- शासनादेश को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इण्टरनेट पर अपलोड किये जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 सरकार के विकास हेतु शासन के एजेण्डा में समस्त विभागों द्वारा शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत किये जाने एवं इण्टरनेट पर अपलोड किये जाने की व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन स्तर से आदेश संख्या-419/ बीस-13-वि-2014-4(विविध)/ 13 दिनांक 18 फरवरी, 2014 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 01 मार्च, 2014 के उपरान्त किसी भी शासनादेश को तभी वैध माना जाएगा, जब वह http://shasanadesh.up.nic.in पर उपलब्ध हो। उक्त के अनुक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग से संबंधित शासनादेशों को उक्त वेबसाइट पर अपलोड किया गया है एवं कोई भी व्यक्ति इन्हें उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। इस योजना का मुख्य उददेश्य जन सामान्य तक शासन के विभिन्न आदेशों को अनिवार्य रूप से एक पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत पहुँचाना है। परन्तु यह योजना अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकेगी जब जन सामान्य को इस सम्बन्ध में जानकारी हो। जानकारी होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने पास उपलब्ध कम्प्यूटर से अथवा जन सेवा केन्द्र/ लोकवाणी केन्द्र, साइबर कैफे आदि से इसके प्रिन्टआउट ले सकता है। साफ्टवेयर में प्रदत्त "सर्च" सुविधा से शासनादेश में उल्लिखित विषय/ शब्दों के आधार पर आसानी से वांछित शासनादेश देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1995/ बीस-13-वि-2013-4(विविध)/ 13 दिनांक 10 सितम्बर, 2013, 2652/ बीस-13-वि-2013-4(विविध)/ 13 दिनांक 21 नवम्बर, 2013, 1102/ बीस-13-वि-2014-4(विविध)/ 13 दिनांक 07 मई, 2014, 1/ 1486/ बीस-13-वि-2014-4(विविध)/ 13टीसी-1 दिनांक 07 जुलाई, 2014 एवं 6/ 1998/ बीस-13-वि-2014-4(विविध)/ 13 दिनांक 18 सितम्बर, 2014 भी पठनीय है एवं इन्हें भी http://shasanadesh.up.nic.in पर important downloads के

http://shasanadesh.up.nic.in

लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। अब तक के अनुभव से यह प्रतीत होता है कि इस वेबसाइट की जानकारी जन सामान्य तक नहीं पहुँची है एवं इस वेबसाइट को अपेक्षित संख्या में विजिट नहीं किया गया है।

2- उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप अपने जनपदों में शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से भी जन सामान्य को अवगत कराया जाए तथा जनपदों में क्रियाशील लोकवाणी/ जनसेवा केन्द्रों के संचालकों को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/ ई-डिस्ट्रीक मैनेजर के माध्यम से अवश्य प्रशिक्षित करा दें। समस्त उप जिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी व्यवस्था के प्रति संवेदनशील कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने का कष्ट करें। निश्चित ही इससे जहां एक ओर विभिन्न अधिकारियों को अपने विभाग से सम्बन्धित शासनादेशों की जानकारी तुरन्त हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर जनसामान्य को इनकी प्रति प्राप्त करने हेतु विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

3- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में किसी भी शासनादेश के प्राप्त होने पर उसकी पुष्टि वेबसाइट से अवश्य करायी जाए एवं यदि वह शासनादेश वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो तत्काल विभागीय प्रमुख सचिव एवं इस कार्यालय को अवश्य अवगत कराया जाए।

भवदीय,

(प्रभात मित्तल)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in